न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 269/2023

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
पूंजराज सिंह पुत्र जोरसिंह जाति राजपूत, निवासी हिमायत नगर, तहसील बालेसर, जोधपुर		1. छतरसिंह पुत्र हीरसिंह राजपूत निवासी बेलवा राणाजी, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर 2. ग्राम पंचायत बेलवा राणाजी जरिये सरपंच, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बालेसर दिनांक 03.07.2023 राजस्व प्रथम अपील संख्या 46/2020 अनवान छत्तरसिंह बनाम ग्रा0पं0 बेलवा राणाजी वगैरा

उपस्थित–

1. श्री उम्मेदसिंह बावरला, वकील अपीलांट
2. श्री गुलाबसिंह चम्पावत, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1

निर्णय

दिनांक 14.10.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व प्रथम अपील/मुकदमा नम्बर 46/2020 अनवान छतरसिंह बनाम ग्रा0पं0 बेलवा वगैरा में पारित आदेश दिनांक 03.07.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील बालेसर स्थित ग्राम बेलवा राणाजी के खसरा नं0 1080 रकबा 0.10 बीघा, 1081 रकबा 0.04 बीघा व 1083 रकबा 0.05 बीघा भूमि पेपकंवर पत्नी लादूसिंह जाति राजपूत सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज थी। जिसका फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1102 दिनांक 15.12.2019 पुंजराजसिंह पुत्र जोरसिंह जाति राजपूत साकिन देह खातेदार के नाम सरपंच ग्राम पंचायत बेलवा राणाजी के द्वारा पारित किया गया। उक्त स्वीकृत नामान्तकरण के विरूद्ध रेस्पो0सं0 1–अपीलांट–छतरसिंह ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर के समक्ष अंतर्गत धारा 75 आरएलआर एक्ट के तहत

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

राजस्व प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। जो अपीलाधीन आदेश 03.07.2023 के द्वारा स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन जैर ना0क0सं0 1102 अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार बालेसर को स्व0 पेपकंवर के विधिक वारिसों की जांच कर पुनः ना0क0 भरने की कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट–रेस्पो0सं0 2–पुंजराजसिंह ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1–छतरसिंह द्वारा प्रस्तुत अपील में यह कथन किया गया कि तहसील बालेसर स्थित ग्राम बेलवा राणाजी के खसरा नं0 1080 रकबा 0.10 बीघा, 1081 रकबा 0.04 बीघा व 1083 रकबा 0.05 बीघा भूमि पेपकंवर पत्नी लादुसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज थी। खातेदार पेपकंवर का लाऔलाद निधन हो जाने पर उसका फौतेदगी ना0क0 नजदीकी वारिसान अपीलांट–पुंजराज सिंह के नाम बिना जांच के स्वीकृत कर दिया गया। विचाराधीन प्रकरण में वर्तमान अपीलांट द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त ना0क0 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विधि अनुसार स्वीकृत किया गया है। स्व0 पेपकंवर ने अपने जीवन काल में वादग्रस्त खसरान की कृषि भूमि की किसी भी व्यक्ति के नाम कोई वसीयत नही की गई थी। इसलिए वर्तमान रेस्पो0सं0 1 को अपीलाधीन ना0क0 के विरूद्ध अपील पेश करने का कोई कानूनन अधिकार नही है, अतः अपील खारिज फरमावे। किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने मूल अभिलेख तलब किए बिना एवं अपीलांट–रेस्पो0सं0 2 की विधिवत तामिली करवाये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। उक्त अपील मियाद बाहर पेश की गई थी, किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार के आदेश बिना ही अपील का गुणावगुण पर निर्णय पारित कर दिया गया। प्रकरण में सरपंच ग्राम पंचायत बेलवा राणाजी व हल्का पटवारी के द्वारा जारी वंशावली के अनुसार अपीलांट स्व0 पेपकंवर का सबसे नजदिकी वारीसान व उत्तराधिकारी होने से उक्त ना0क0 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार संपूर्ण जांच उपरांत विधिक रूप से

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

एवं नियमानुसार सर्व सहमति से अपीलांट के नाम पारित किया गया था। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया है, जो न्यायोचित नही है। अपीलाधीन ना0क0 से रेस्पो0सं0 1–अपीलांट के कोई हक/अधिकार प्रभावित नही होने से वह आवश्यक हितबद्ध व्यक्ति नही होने से उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही था और न ही इनके द्वारा अपील पेश करने की अनुमति हेतु अंतर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को दरकिनार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जो निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए, अपीलाधीन जैर ना0क0सं0 1102 दिनांक 15.12.2019 बहाल करने का आग्रह किया गया।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRT2024(1) Page N0 170-174 की प्रति प्रस्तुत की गई।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में उक्त अपील के जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि तहसील बालेसर स्थित ग्राम बेलवा राणाजी के खसरा नं0 1080 रकबा 0.10 बीघा, 1081 रकबा 0.04 बीघा व 1083 रकबा 0.05 बीघा भूमि श्रीमती पेप कंवर पत्नी लादुसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज थी। खातेदार पेपकंवर ने अपनी जीवित अवस्था में रेस्पो0सं0 1–छतरसिंह के पक्ष में एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा निष्पादित किया था। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत खातेदार की मृत्यु होने पर वसीयत के आधार पर उक्त भूमि का रेस्पो0सं0 1 स्वतः ही खातेदार हो गया। जब तक उक्त वसीयत दस्तावेज सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया जाता है, तब तक रेस्पो0सं0 1 वसीयत के आधार पर उक्त भूमि का कानूनन खातेदार माना जावेगा। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट–रेस्पो0सं0 2 की विधिवत तामिली हो गई थी तथा प्रकरण बहस में आने के बाद गुणावगुण पर निर्णित किया गया है। प्रकरण में ग्रा0पं0 बेलवा राणाजी द्वारा अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध कोई उजर एतराज पेश नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 सं0 1–अपीलांट ने प्रथम ज्ञान से अन्दर मियाद अपील पेश गई थी। अपीलांट के पक्ष में कोई दस्तावेज नही है

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

और न ही वह स्व0 पेपकंवर का नजदीकी वारिसान एवं उत्तराधिकारी है। रेस्पो0 सं0 1–अपीलांट के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत होने के कारण उसके हक व अधिकार पूर्णतया प्रभावित होने से उसे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश करने की अनुमति प्रार्थना पत्र की आवश्यकता नही थी। खातेदार पेपकंवर द्वारा अपनी तमाम चल एवं अचल सम्पति दिनांक 10.01.1997 को रेस्पो0 सं0 1–अपीलांट के नाम पंजीबद्ध वसीयत की गई है। उक्त वसीयतनामे के अनुसार पेपकंवर की मृत्यु के उपरांत उसकी रहवासीय ढाणी तथा उसके पडवा, घर बिकरी का सामान एवं ग्राम बेलवा राणाजी में स्थित सामलाती खातेदारी की जमीन का रेस्पो0सं0 1 स्वतः ही खातेदार हो गया। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार बालेसर को उक्त प्रकरण के वारिसान व उत्तराधिकारी की जांच करने हेतु रिमाण्ड किया गया है, जो विधिसम्मत है। अपीलांट अपने को पेपकंवर का वारिसान मानता है, तो साक्ष्य, सबूत पेश कर सकता है। अंत में अपील अपीलांट खारिज कर, अपीलाधीन आदेश यथावत रखने तथा अपीलाधीन जैर ना0क0 रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर रेस्पो0सं0 1 के नाम स्वीकृत करने का आदेश फरमाने हेतु आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार प्रथमतया यह पाया जाता है कि मृतक खातेदार पेपकंवर का फौतेदगी नामान्तरकरण सं0 1102 दिनांक 15.12.2019 सरपंच ग्रा0पं0 बेलवा राणाजी द्वारा दिनांक 17.7.18 को प्रमाणित वंशावली पुरमलजी के अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप, उसके नजदीकी रिश्तेदार पुंजराजसिंह के नाम पारित किया जाना प्रतीत है। द्वितीय "पंजीबद्ध वसीयतनामा दिनांक 10.01.97 श्रीमती पेपकंवर बहक छतरसिंह के बिन्दु सं0 1 में तमाम चल एवं अचल सम्पति का अंकन किया गया है तथा बिन्दु सं0 2 में खसरा नम्बर का अंकन किया गया है, उक्त तथ्य का उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 3.7.23 के पृष्ठ सं0 2 के पैरा नं0 3 में भी किया गया है। किंतु अधीनस्थ न्यायालय उक्त उल्लेख के साथ यह स्पष्ट करने में मौन रहा कि "वसीयतनामें में वादग्रस्त खसरा नं0 1080, 1081 व 1083 का कोई उल्लेख नही किया गया है, अर्थात उक्त खसरान वसीयत की सीमा से

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

बाहर है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि मृतक खातेदार पेपकंवर का फौतेदगी नामान्तरकरण सं0 1102 उसके नजदीकी रिश्तेदार पुंजराजसिंह के नाम पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत RRT2024(1) Page N0 170-174 इस मामले में चस्पा होते है ''कि राजस्व न्यायालय पंजीकृत विक्रय—पत्र की अंतर्वस्तु के विपरीत तथ्यों की उपधारणा करने में सक्षम नही है।''

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पायी जाने से तदनुसार स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व प्रथम अपील/मुकदमा नम्बर 46/2020 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2023 को अपास्त कर, अपीलाधीन जैर नामान्तरकरण संख्या 1102 दिनांक 15.12.2019 को पुनः बहाल किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

14.10.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर